

2. आयदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित निगरानी बनाए जाय तथा यह के अन्त में जिला स्तर पर निम्नलिखित के द्वारा इजाजत के बिना कोई भी सहायक सार्वजनिक कार्य विवरण/प्रौद्योगिकी कार्य विवरण/आयदा राहत निधि का उपयोग नही किया जाय।

5. शासन द्वारा आवंटित धनराशि में से यदि बचते सम्भावित हों तो उन्हें 25 मार्च, 2009 तक शासन को अवश्य सूचित करते हुये वित्तीय वर्ष के अन्त में समर्पित कर दिया जाय।

6. आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड -5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या -42 आई में शासन को द्रुत उपलब्ध कराया जाय।

7. व्यय की धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तानकन कराया जाय और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित करके शासन को सूचित किया जाय।

(जी०के० टण्डन)
राहत आयुक्त एवं सचिव

संख्या : ३६३५ / 1-10-2008-14(23) / 2004 तदुद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा) / महालेखाकार (आडिट प्रथम), उ०प्र० इलाहाबाद।
2. मण्डलायुक्त, इलाहाबाद मण्डल।
3. आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद, उ०प्र० लखनऊ।
4. निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
5. कोषाधिकारी, इलाहाबाद।
6. वित्त धाय नियंत्रण अनुभाग-5।
7. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी / लेखाकार राजस्व अनुभाग-10 / राजस्व अनुभाग-6 / 11 / राहत वेबसाइट के उपयोग हेतु।
8. वित्तीय वर्ष 2008-09 की धनादंष्टन पत्रावली में रखने हेतु।
9. गार्ड बुक।

आज्ञा

२००८

२००८